न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–02, जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : सरिता मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक निगरानी संख्या : 18 / 2026
सी.आई.एस.नम्बर : 264 / 2026
मोहम्मद कासिम पुत्र श्री कमालुद्दीन, उम्र–36 वर्ष, निवासी 1346 / 4ए, हिदा की मोरी गांधी सर्किल एच.आर. कॉलोनी, चारदरवाजा जयपुर।

..... **निगरानीकार / अभियुक्त**

–**बनाम**–

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, जयपुर महानगर द्वितीय।

–– प्रत्यर्थी

.....

दाण्डिक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 13.04.2026 जिसके द्वारा न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा मु.नं. 443 / 2022 (4702 / 23) बउनवानी सरकार बनाम मो. कासिम में निगरानीकार / अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 446 सीआरपीसी (491 भा.ना.सु.सं.) खारिज किया गया।

उपस्थित :–
1. श्री रियाज अहमद, विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. सर्वश्री अनिल मारवाल, विकास प्रजापति, सलौनी शर्मा, सुयश मारवाल विद्वान अधिवक्तागण परिवादिया की ओर से।
3. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से।

.....

:: आदेश :: दिनांक : 13.06.2026

1. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा मु.नं. 443 / 2022 (4702 / 23) बउनवानी सरकार बनाम मो. कासिम में

निगरानीकार/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 446 सीआरपीसी (491 भा.ना.सु.सं.) खारिज किये जाने बाबत् पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.04.2026 से व्यथित होकर निगरानीकार/अभियुक्त ने यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकार/अभियुक्त ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक जवाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 446 सीआरपीसी (491 भा.ना.सु.सं.) पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा उसके द्वारा अपनी आजीविका हेतु रोजगार की तलाश करने हेतु अपने घर से बाहर होने के कारण एवं भलूवश व विधिक कार्यवाही की अनभिज्ञता के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका था। अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 446 सीआरपीसी (491 भा.ना.सु.सं.) में लायी गयी कार्यवाही ड्रोप किये जाने या अधिरोपित जुर्माना राशि कम किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनकर निगरानीकार/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त जबवा प्रार्थनापत्र को आक्षेपित आदेश 13.04.2026 द्वारा खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर निगरानीकार/अभियुक्त ने यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है।

3. बहस निगरानी याचिका सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार/अभियुक्त ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि माननीय विचारण न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किये बिना 5 लाख रूपये की अत्यधिक और कठोर जुर्माना लगा दिया जो कि निगरानीकार की हैसियत से अधिक है। निगरानीकार शादी ब्याह में खाना बनाने एवं बर्तन धोने का कार्य करता है। माननीय विचारण

न्यायालय ने अपने आदेश में तथ्य एवं कानून का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से उक्त आदेश पारित किया है। निगरानीकार का अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा अपनी आजीविका हेतु रोजगार की तलाश करने हेतु अपने घर से बाहर होने के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो पाने में असमर्थ रहा है जिस कारण निगरानीकार के जमानत मुचलके विचारण न्यायालय द्वारा जब्त कर धारा 446 सीआरपीसी की कार्यवाही अमल में लायी गयी। निगरानीकार का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार किया जा चुका है तथा वह आदेशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार व तत्पर है। दिनांक 06.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अंत में निगरानी याचिका स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 13.04.2026 को अपास्त करते हुये निगरानीकार के विरूद्ध पारित आदेश धारा 446 सीआरपीसी के तहत अधिरोपित जुर्माना 5 लाख रूपये को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत बताया और निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. हस्तगत निगरानी के निस्तारण में न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि–

" क्या विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 13.04.2026 अशुद्ध, अवैध व औचित्यहीन है तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है ?

6. सुना जाकर निगरानी याचिका, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

व अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 13.04.2026 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि परिवादिया द्वारा निगरानीकार/अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद को न्यायालय द्वारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत सम्बन्धित थाना रामगंज पर प्रेषित किये जाने के उपरान्त बाद अनुसंधान निगरानीकार/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.द.सं. में आरोप प्रमाणित मानते हुये आरोप–पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर निगरानीकार/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.द.सं. के आरोप प्रमाणित मानते हुये आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। प्रकरण में निगरानीकार/अभियुक्त के विचारण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित होने पर दिनांक 22.09.2022 को उसके जमानत मुचलके जब्त किये जाकर उसके विरूद्ध धारा 446 द.प्र.सं. की कार्यवाही खोली जाकर जुर्माना अधिरोपित किया गया।

7. परिवादिया मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा दहेज से सम्बन्धित समस्त लेन–देन सम्पन्न हो चुका है, अब वह निगरानीकार/अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि निगरानीकार/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन माननीय राज. उच्च न्यायालय से दिनांक 07.04.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकार/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 446 सीआरपीसी (491 भा.ना.सु.सं.) के तहत 5,00,000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त *Criminal Appeal No. 2034 of 2022 (Arising ourt of SLP (CRl.) No. 8586 of 2022 Istkar Vs. The State of UP & Anr.* से मार्गदर्शन

प्राप्त किया गया। निगरानीकार/अभियुक्त मजदूर पेशा होकर गरीब व्यक्ति है तथा दिनांक 06.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के तमाम तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि अत्यधिक प्रतीत होती है जिसे उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

— आदेश —

8. अतः निगरानीकार मो. कासिम की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकार/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 446 द.प्र.सं. के तहत अधिरोपित जुर्माना राशि 5,00,000 रूपये जमा करवाये जाने के आलौच्य आदेश दिनांक 13.04.2026 को संशोधित किया जाकर निगरानीकार/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अधिरोपित जुर्माना राशि के स्थान पर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष 5,000 रूपये की जुर्माना राशि जमा करवाये।

9. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

(सरिता मीणा)
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम02, जयपुर महानगर द्वितीय

10. यह आदेश आज दिनांक 13.06.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं स्वहस्ताक्षरित कर न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित किया गया।

(सरिता मीणा)
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम02, जयपुर महानगर द्वितीय